मोदी के न्यू इंडिया में पुरोहित का एनआईए इंडिया भी शामिल

सर्वोच्च न्यायालय में एनआईए ने दिखावे के लिए पुरोहित की जमानत का विरोध किया था। दरअसल, अपने जांचकर्ताओं के ही जुटाए सबूतों को झुठलाने से एनआईए में स्वाभाविक असंतोष है, और उसे अनदेखा कर पुरोहित को भी क्लीनचिट दे पाना शरद कुमार के लिए भी संभव नहीं रह गया था...

नौ वर्ष तक भारतीय सेना का एक अफसर बिना ट्रायल भारतीय जेल की सलाखों के पीछे रहा हो और अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ने के आदेश दे तो भला किसकी सहानुभूति उसके साथ नहीं होगी। विशेषकर जब देश के सबसे महंगे वकील ने उस अफसर की पैरवी में दावा किया हो कि उसे सत्ता राजनीति का शिकार बनाया गया है।

मालेगांव आतंकी मामले के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित और उच्चतम न्यायालय में उनके वकील हरीश साल्वे अपने लिए इससे बेहतर माहौल की कल्पना नहीं कर सकते थे।

जेल से निकले पुरोहित को मीडिया ने हाथोंहाथ उठा रखा है। जाहिर है वे सेना यूनिट में वापसी करेंगे। हालाँकि वे नौकरी से निलंबित हैं और गंभीर दुराचरण के लिए कोर्ट मार्शल भुगत रहे हैं। भाजपा और आरएसएस पुरोहित की जमानत को ही उनकी बेगुनाही बतौर पेश कर रहे हैं।

जबकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार के दबाव में एनआईए ने जानबूझकर पुरोहित के मामले को कमजोर कर उसी तरह उनकी जमानत का रास्ता प्रशस्त किया है जैसे पहले सह-अभियुक्त प्रज्ञा के लिए किया था। इन तमाम संशयों से दो-चार होने से पहले घटनाक्रम पर एक संक्षिप्त नजर।

2006 मालेगांव विस्फोटों की अनिश्चितता के बाद, सन 2007 में एक के बाद एक देशभर में मुस्लिम ठिकानों को निशाना बनाकर आतंकी घटनायें हुयीं। समझौता एक्सप्रेस (पानीपत), मक्का मस्जिद (हैदराबाद), अजमेर शरीफ (राजस्थान)। शुरू में जांच एजेंसियों की शक की सुई सिमी और अलकायदा जैसे मुस्लिम आतंकी संगठनों पर टिकी रही, पर सामने आये तथ्यों की रोशनी में छानबीन ने अलग मोड़ ले लिया। पहली बार भगवा मार्का आतंकी गिरोह का नाम सामने आया।

सितम्बर 2008 मालेगांव-दो आतंकी विस्फोटों में घटनास्थल से बरामद हुयी प्रज्ञा सिंह की मोटरसाइकिल ने पुलिस को अंतत: उपरोक्त आतंकी मामलों में असीमानंद और

सुनील जोशी के नेतृत्व में संघियों की संलिप्तता और उन्हें बारूद मुहैया कराने वाले कर्नल प्रसाद पुरोहित और उनके संगठन 'अभिनव भारत' के परस्पर गठजोड़ तक पहुँचाया।

इस बीच प्रज्ञा के साथ दुर्व्यवहार को लेकर दिसंबर 2007 में सुनील जोशी की हत्या उसके संघी साथियों के हाथों हो चुकी थी। गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन दो प्रमुख संघी आरोपी, संदीप डांगे और रामचंद्र कुल्सान्ग्रे आज तक फरार चल रहे हैं। कुल्सान्ग्रे, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ने विस्फोटक जंतर जोड़ने में भूमिका निभायी थी।

प्रज्ञा और पुरोहित की महाराष्ट्र एटीएसद्वारा गिरफ्तारी के महीने भर में एटीएस चीफ हेमंत करकरे मुंबई 26/11 हमलों में शहीद हो गए। एटीएस ने 2009 में अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। केन्द्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2016 में मकोका को हटाने वाला और प्रज्ञा को क्लीनचिट देने वाला नया आरोप पत्र दाखिल किया, और इस तरह पहले प्रज्ञा और अब पुरोहित की जमानत का रास्ता सुलभ कर दिया।

ध्यान दीजिये, इसी जुलाई में पंचकुला की एनआईए अदालत में समझौता कांड के पाकिस्तानी गवाहों का बयान और जिरह होना था। वैसे केस में एनआईए पहले ही सारे अभियोजन गवाह बैठा चुकी है और तमाम हिंदुत्व ब्रांड आरोपियों का बरी होना तय है।

तब भी आरएसएस ने हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज से बयान दिलवाया कि एक हिन्दू कभी आतंकी हो ही नहीं सकता। दरअसल, यही है आज का एनआईए इण्डिया दर्शन। यह और बात है कि आतंकवाद के इतिहास में विश्व का सर्वाधिक कृत संकल्प दुस्साहसी संगठन लिट्टे, एक हिन्दू संगठन ही था। एनआईए, केंद्र सरकार की आतंकी अपराधों की छानबीन करने वाली एक पेशेवर पुलिस संस्था है।

उसे किसी राजनीतिक अंधविश्वास को हवा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसे कांग्रेस या भाजपा-आरएसएस के राजनीतिक दर्शन से कुछ लेना-देना नहीं होना चाहिये। आतंकी धमाकों के लिए सेना का बारूद मुहैया कराने वाले कर्नल पुरोहित की सुप्रीम कोर्ट से जमानत के सन्दर्भ में जरा निम्न सवालों पर नजर डालिए।

-क्या भारतीय सेना इतनी असहाय है कि कोई जांच एजेंसी उसके सेवारत कर्नल को झूठे आरोपों, और वह भी सेना का ही बारूद चुरा कर आतंकियों को देने जैसे संगीन आरोप में सालोंसाल जेल में बिना प्रतिवाद के रखने की जुर्रत कर सके?

—सेना के लिए यह बेहद अपमान की बात रही होगी कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस यूनिट में सेवारत कर्नल ऐसे देशद्रोही मामले में लिप्त पाया गया। सेना ने पुरोहित के विरुद्ध कोर्ट मार्शल के आदेश दिए। ऐसा प्रथम दृष्ट्या पुरोहित के आचरण को गंभीर रूप से गलत पाकर ही किया जाएगा।

—कर्नल पुरोहित ने सह अभियुक्तों के साथ 'अभिनव भारत' की बैठकों में भाग लेने की बात स्वीकारी है क्योंकि इसे वे अपने से जुड़ती कड़ियों के चलते झुठला नहीं सकते थे। उनका दावा है कि उन्होंने अपने वरिष्ठों की जानकारी में यह तथ्य लाया हुआ था। जबकि जांचकर्ताओं ने उनकी यूनिट के अफसरों के जो बयान दर्ज किये हुए हैं उनमें इस दावे को नकारा गया है।

— क्या यह बात विश्वास योग्य है कि पुरोहित अपने वरिष्ठों को संघी गिरोह के बारे में बताते भी रहे और तब भी एक के बाद एक आतंकी वारदातें भी होने दी गयीं। समझौता ब्लास्ट फरवरी 2007 में और मालेगांव-दो सितम्बर 2008 में हुआ। सेना के पास इस दौरान चुप रहने का क्या कारण हो सकता है?

— जमानत पाने के लिए वकील साल्वे का मुख्य तर्क रहा कि जब मुख्य आरोपियों में से एक प्रज्ञा को जमानत मिल गयी तो नौ साल जेल में रहने के बाद पुरोहित भी इसके हकदार हैं। यह तर्क काम कर गया क्योंकि एनआईए के नए आरोपपत्र के मुताबिक, मकोका हट जाने के बाद, पुरोहित सिर्फ बारूद मुहैया कराने के अपराधी रह जाते हैं और उस हिसाब से नौ वर्ष काफी कहे जा सकते हैं।

- किसी भी अदालत ने, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी, न तो एटीएस के पहले आरोप पत्र को खारिज किया है और न ही एनआईए के दूसरे आरोप पत्र को स्वीकारा है। अभी ट्रायल कोर्ट के सामने दोनों आरोप पत्र हैं और उसे तय करना है कि किसका संज्ञान लिया जाय। लिहाजा, भाजपा-आरएसएस का जमानत होने के आधार पर पुरोहित को बेकसूर बताना कोरी राजनीतिक जुमलेबाजी है।

-मई 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद एनआईए ने इन तमाम मामलों में सरकारी गवाहों को बिठाने और आरोपों को कम करने का सिलसिला शुरू किया। फिर भी अजमेर शरीफ मामले में पुरोहित की बैठकों में शामिल दो संघियों को ट्रायल कोर्ट से सजा मिल चुकी है, जबकि मालेगांव मामले में स्वयं अभियोजक ने मीडिया के सामने आकर एनआईए के दबाव का आरोप लगाया था।

-सारे संकेत हैं कि एनआईए चीफ शरद कुमार ने सेवा विस्तार पाने और बाद में कोई बड़ा पद हथियाने के क्रम में 'इस हाथ दे और उस हाथ ले' के तहत भाजपा सरकार को उपकृत किया है। शरद कुमार 2013 में ही एनआईए चीफ हो गए थे और एक वर्ष तक इन मामलों के पुराने आरोप पत्रों के अनुसार तमाम मामलों में ट्रायल चलते रहे। मई 2014 में मोदी सरकार बनते ही उनका बदला रंग नजर आने लगा।

-नौकरशाही में यह कोई नयी बात नहीं है। दरअसल, भाजपा ने कांग्रेस से ही यह सब सीखा है। फलस्वरूप शरद कुमार को मोदी सरकार से अब तक दो बार सेवा विस्तार मिल चुका है। तीसरा, पुन: इसी अक्तूबर में मिल जाएगा। अन्यथा, उन्हें किसी और महिमावान कुर्सी से नवाजा जाएगा।

-सर्वोच्च न्यायालय में एनआईए ने दिखावे के लिए पुरोहित की जमानत का विरोध किया था। दरअसल, अपने जांचकर्ताओं के ही जुटाए सबूतों को झुठलाने से एनआईए में स्वाभाविक असंतोष है, और उसे अनदेखा कर पुरोहित को भी क्लीनचिट दे पाना शरद कुमार के लिए भी संभव नहीं रह गया था।

इसे विडम्बना ही कहेंगे कि राष्ट्रवादी आरएसएस, शहीद हेमंत करकरे के बजाय स्वामिभक्त कर्नल पुरोहित के साथ खड़ी है। वैसे, अंग्रेजों ने भी क्रांतिवीर भगत सिंह को फांसी दी थी और स्वामिभक्त सावरकर को क्षमादान।

(साभार, जनज्वार)

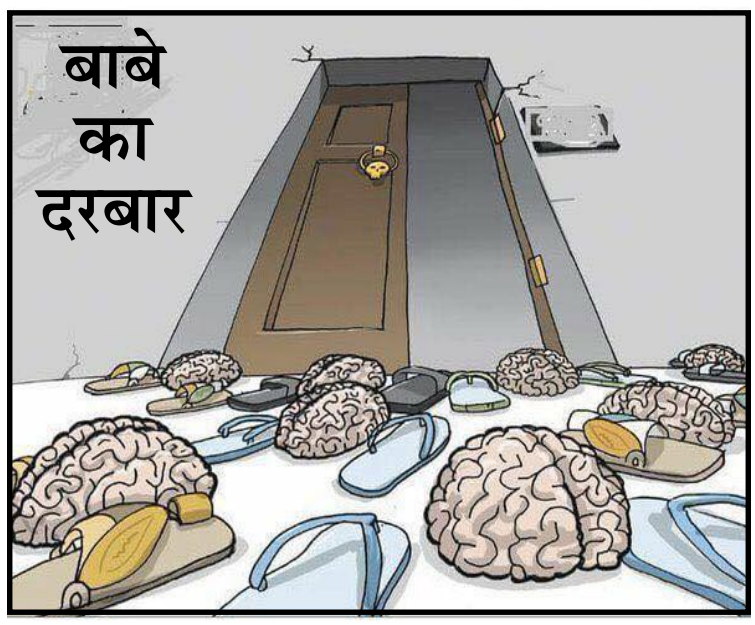

तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम मर्दों में छाई मुर्दानगी

(मज़दूर मोर्चा दिल्ली ब्यूरो) सामंती मिजाज वाले मुस्लिम मर्द तो हैं ही, लेकिन आजादी की मांग को सर्वाधिक बुलंद आवाज में उठाने वाले वामपंथियों और उनके समर्थकों का बहुतायत तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं की आजादी के मसले पर भयाक्रांत है...

राग दरबारी

अजीब देश हैं हम, जो हिंदू मर्द सरकारी आंकड़ों में भी अपनी औरतों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, वे तीन तलाक पर ढोल बजाकर खुश हो रहे हैं। वे अपने वाट्सअप, फेसबुक और ट्वीटर के माध्यम से आह्लादित भाव से सबको बता रहे हैं, मानो यह मुस्लिम महिलाओं की जीत नहीं, हिंदू मर्दों की मुस्लिम मर्दों पर जीत हुई हो।

मुस्लिम मर्द भी इसको इसी रूप में ले रहे हैं। आप दर्जनों मुस्लिम मर्दों की फेसबुक वाल खंगाल व देखकर समझ सकते हैं कि डिफेंड मोड में पड़े मुस्लिम मर्द लगातार हिंदू मर्दों से पूछ रहे हैं कि तुमने अपने धर्म की महिलाओं के सभी हक मुकर्रर कर दिए, जो तीन तलाक पर आए अदालती फैसले पर तुर्रम बने फिर रहे हो।

पर इस पूरी बहस में कहीं एक बार भी मुस्लिम मर्दों की कट्टरपंथी या प्रगतिशील जमातें यह नहीं स्वीकार कर पा रही हैं कि यह फैसला सही है और वे तलाक पर आई इस नई व्यवस्था का तहेदिल से स्वागत करते हैं।

वह अपने घरों और पड़ोसियों के साथ हुई त्वरित तीन तलाक की ऐसी वारदातों का एक किस्सा तक नहीं शेयर कर रहे। वे मुस्लिम औरतों के उत्पीड़न के अनगिनत अनुभवों और किस्सों को समाज में बताने से ऐसे हेठी दिखा और छुपा रहे हैं, जैसे मुकदमों में मुलजिम वे खुद हों, अदालत ने उनको ही दोषी करार दिया हो।

संभव है इनसे अलग भी मुस्लिम नौजवानों की एक ऐसी जमात हो जो तीन तलाक पर आए अदालती फैसले से खुश हो, मगर वह बहुत मामूली है, जिसके मत का कोई सामूहिक महत्व नहीं बन पा रहा है।

वहीं हिंदू-मुस्लिम मर्दों के बीच तीन तलाक को लेकर औरतों के हक में आए फैसले पर बहस यों हो रही है मानो इस हक को अपने दम पर औरतों ने नहीं जीता है, गोया एक मर्द समुदाय ने दूसरे मर्द

वह अपने घरों और पड़ोसियों के साथ हुई त्वरित तीन तलाक की ऐसी वारदातों का एक किस्सा तक नहीं शेयर कर रहे। वे मुस्लिम औरतों के उत्पीड़न के अनगिनत अनुभवों और किस्सों को समाज में बताने से ऐसे हेठी दिखा और छुपा रहे हैं, जैसे मुकदमों में मुलजिम वे खुद हों, अदालत ने उनको ही दोषी करार दिया हो।

समुदाय से छीनकर औरतों के हाथ में रख दिया हो। कुछ उसी तरह जैसे औरतों को दूसरे सामान लाकर मर्द सदियों से देते आ रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि तीन तलाक पर आए अदालती फैसले के बाद मुस्लिम मर्दों में मुर्दानगी पसरी है। सोशल मीडिया पर प्रगतिशील छवि वाले मुस्लिम भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी में तथाकथित वामपंथी उनके सहोदर बने बैठे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी मर्द जमातों के साथ सहोदरी निभा रहे वामपंथी साफ शब्दों में नहीं कह पा रहे है कि यह औरतों के हक में आया एक न्यायपूर्ण फैसला है।

तथाकथित वामपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी तीन तलाक के संदर्भ में छपी सकारात्मक खबरों को लाइक और कमेंट करने से भी हिचक रहे हैं।

अलबत्ता ज्यादातर मुस्लिम मर्द यह सवाल करने में लगे हैं कि क्या हिंदुओं में तीन तलाक या स्त्री उत्पीड़न कम होता है? यानी औरतों के हक में आए 22 अगस्त के इस फैसले को मुस्लिम मर्द सेलिब्रेट करने की बजाए इस दुख में नहाए घूम रहे हैं कि क्या अन्य धर्मों में औरतों के साथ होने वाली गैरबराबरी खत्म हो गयी है।

यह तर्क कुछ वैसा ही है जैसे किसी अपराधी का पिता पुलिस के आने पर यह पूछे कि क्या दुनिया में सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मेरे बेटे की हो रही है। या कोई बलात्कारी यह कहे कि क्या दुनिया से बलात्कार का नामोनिशन मिट गया है जो मुझे इस अपराध में सजा मुकर्रर हो रही है। अगर बाकि बचे हैं तो मुझे ही सजायाफ्ता क्यों बनाया जा रहा है, यह तो शोषण है!!!

स्पष्ट है कि तीन तलाक पर आए अदालती फैसले से मुस्लिम मर्दों का बहुतायत आहत है और वह सामाजिक तौर पर इसे स्वीकारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जाहिर है सरकार और आधुनिक समाज के लिए यह एक नई चुनौती है।

मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीति में अपने लिए न्याय, बराबरी और सम्मान की लगातार मांग करने वाले ज्यादातर मुस्लिम चुप्पी साध गए हैं। उनकी चुप्पी देख ऐसा लग रहा है मानो तीन तलाक ही मुस्लिम धर्म के महिलाओं की मुक्ति का रास्ता था, जिसे मोदी सरकार ने छीन लिया है। इसे मुस्लिम मर्दों का मांद में घुसना भी कह सकते हैं, जहां से उनकी कोई मिमियाहट तक सुनाई नहीं दे रही है।

ऐसे में इतना तो स्पष्ट है कि आधुनिक समाज का जो तबका और समुदाय अपनी आधी आबादी को मिले अधिकार पर मातम मनाएगा, उसके हक में आए फैसले को सांप्रदायिक करार देगा, वह किसी भी तरह अपने लिए न्याय नहीं हासिल कर पाएगा, चाहे उसके लिए वह सियासत में जो कीमत अदा करे।